



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेलरोड, भोपाल



क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/1204 भोपाल दिनांक: 26-10-2021
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।

विषय:-कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन दिनांक 01/10/2021 से 89 दिवस तक दी गई स्वीकृति के संबंध में।

कोविड -19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन हेतु जिलों की स्वास्थ्य संस्थाओं में अस्थायी मानव संसाधन को रखने हेतु दिनांक 01/10/2021 से 89 दिवस तक चाहे गये पदों की स्वीकृति विभिन्न पत्रों के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त पदों की स्वीकृति पर दिनांक 22/10/2021 तक जो अस्थायी मानव संसाधन 89 दिवस तक रखा गया है एवं जिन पदों पर अस्थायी मानव संसाधन की पूर्ति नहीं की गई है एवं वर्तमान में रिक्त है, उन अस्थायी मानव संसाधन को दिनांक 22/10/2021 के पश्चात बिना मिशन कार्यालय की अनुमति के ना भरा जावे।

दिनांक 22/10/2021 के उपरान्त अस्थायी मानव संसाधन की आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित पदों के प्रस्ताव का आकलन करते हुये प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

(अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/1204
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल दिनांक: 26-10-2021

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम. म.प्र.।
5. संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
7. उप संचालक, मानव संसाधन/लीगल एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. उप संचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र वभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
10. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश